

No. 1/68/2019-स्था०.तीन/११-२३
भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
स्थापना-तीन

तीसरी मंजिल,सेवा भवन
रामकृष्ण पुरम,दिल्ली-110066.
दिनांक 1.1.2021.

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
केन्द्रीय जल आयोग,
नई दिल्ली ।

महोदय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम 235 के अधीन एवं वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या 12 (2)/2020 E.II (A) दिनांक 12.10.2020 एवं 20.10.20 के अनुसरण में श्री गौरव अग्रवाल, सहायक निदेशक, को वर्ष 2020 (गृह नगर) के बदले में (LTC Cash Voucher) के उपयोग करने पर रूपर 30,000/-.(Thirty thousand Only) की अग्रिम राशि की, जो उस अनुमानित राशि के 50 प्रतिशत तक सीमित है, जिसकी आपूर्ति सरकार द्वारा अधिकारी की 12 प्रतिशत एव अधिक जीएसटी वाले सामान एवं सेवा की खरीदारी पर करनी होगी,की अदायगी के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एतद्वारा प्रेषित की जाती है। अग्रिम का समायोजन अधिकारी के बिल से किया जायेगा ।

2. श्री गौरव अग्रवाल,सहायक निदेशक, के परिवार के सदस्यों (LTC Cash Voucher) का लाभ लेने वाले का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

S.N.	Name	Relation	Age	Amount	Leave encashment
1	श्री गौरव अग्रवाल	स्वयं	28 वर्ष	Rs.10000/-	NO
2	श्री रामसेवक अग्रवाल	पिता	62 वर्ष	Rs.10000/-	
3	श्रीमती माया देवी अग्रवाल	माता	58 वर्ष	Rs.10000/-	
Total				Rs.30000/-	

- 1 इनका मूल वेतन रू० 57,800/- प्रतिमाह है ।
- 2 श्री गौरव अग्रवाल, सहायक निदेशक, अस्थायी है। अतः इनसे जमानत लेना आवश्यक है।
- 3 उपरोक्त व्यय मुख्य शीर्ष 2701; 80-General; 80.001- D&A; 01.00.01 वेतन (NP) वित्तीय वर्ष 2020-21 में समायोजित किया जाएगा ।

भवदीया
08/01/2021
(सीमा जुनेजा)
अनुभाग अधिकारी

प्रति प्रेषित :

- 1 अनुभाग अधिकारी, लेखा- एक अनुभाग, के० ज० आ०, नई दिल्ली । (दो प्रतियां पी०एफ०एम०एस०सहित)
 - 2 श्री गौरव अग्रवाल, सहायक निदेशक, I.P.(S) निदे० के०ज०आ० नई दिल्ली को वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 12 (2)/2020 E-II (A) दिनांक 12.10.2020 का पालन
- नोट:- बिल लेखा- एक अनुभाग, के० ज० आ०,को प्रस्तुत करना होगा ।